



संयुक्त राज्य



MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम

No.11/3(1)/2014-MSME Pol.

Dated 12.1.2015

Subject: Amendment in the definition of the word "Enterprise" under section 2(e) of the MSMED Act 2006-reg.

References have been received in this office to amend the definition of the word "Enterprise" given in section 2(e) of the MSMED Act 2006 in the light of notification no. S.O.199(E) dated 16.1.2009 (copy enclosed for ready reference) regarding amendment in the definition of manufacturing MSMEs.

2. In this regard, it is to state that the definition of micro, small and medium enterprises under MSMED Act 2006 is given separately in section 2(h), (m) and (g) respectively. Therefore, the definition of manufacturing micro, small and medium enterprises will be as per sub-clause (i), (ii) and (iii) of clause (a) of section 7(1) of the MSMED Act 2006. Section 2(e) of the MSMED Act 2006 only define the word "Enterprise" whereas the definition of micro, small and medium enterprises under MSMED Act 2006 will be as per section 2(h), (m) and (g) respectively.

3. This issues with the approval of Additional Development Commissioner (MSME Policy).

Encl.: as above

(Signature)

12.1.15

(Dr. O.P. Mehta)
Director (MSME Pol.)

To

As per list.



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं

शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

ई-मेल: indrajfo7@rajasthan.gov.in, फैक्स नं.: 0141-2227516/5106748

फोन नं. 0141-2227727-34, 2227630-34, 2227823-34 (पी.बी.एक्स)

क्रमांक : एफ 15(6)आयु.उ./ईएम अनु./अलवर/2007

दिनांक : 11-5-2015

प्रतिलिपि: 1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।

2. सहायक निदेशक/जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उप केन्द्र, समस्त।

3. रक्षित पत्रावली (ई.एम.)।

(Signature)
(अविन्द्र लढढा)

संयुक्त निदेशक, उद्योग

विकास आयुक्त का कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार)
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110 108



MSME
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi - 110 108

Ph.EPABX - 23063800, 23063802, 23063803 FAX - (91-11) 23062315, 23061726, 23061068, e-mail - dcmsmehq@nb.nic.in

सं. 11/3(1)/2014-एमएसएमई नीति

दिनांक 12.01.2015

विषय: एमएसएमई अधिनियम 2006 की धारा 2 (ड) के तहत उद्यम शब्द की परिभाषा में संशोधन ।

विनिर्माण एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन से संबंधित दिनांक 16.01.2009 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 199(ई) (तत्काल संदर्भ हेतु प्रति संलग्न) के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय में एमएसएमई अधिनियम 2006 की धारा 2 (ड) में उल्लिखित उद्यम शब्द की परिभाषा में संशोधन करने के लिए संदर्भ प्राप्त हुए हैं ।

2. इस संबंध में, यह बताया जाता है कि, एमएसएमई अधिनियम 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा क्रमशः धारा 2(ज), (ड) एवं (छ) में अलग से दी गयी है । इसलिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यम की परिभाषा एमएसएमई अधिनियम 2006 की धारा 7 (1) के खंड (क) के उप-खंड (i), (ii) और (iii) के अनुसार होगी । एमएसएमई अधिनियम की धारा 2 (ड) केवल 'उद्यम' शब्द को परिभाषित करता है जबकि, एमएसएमई अधिनियम 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा क्रमशः धारा 2(झ), (ड) एवं (छ) के अनुसार होगी ।

3. यह अपर विकास आयुक्त (एमएसएमई नीति) के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

संलग्न: उपरोक्त

ओ.पी. मेहता / 12.1.15

(डॉ. ओ.पी. मेहता)

निदेशक (एमएसएमई नीति)

प्रति प्रेषित:

सूची के अनुसार



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2009/पौष 30, 1930

No. 120]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2009/PAUSA 30, 1930

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2009

का.आ. 199(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (4) के अधीन सलाहकार समिति की सिफारिश अधिप्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1642(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में “(i) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951” से आरम्भ होने वाले और “उद्यमों की दशा में जैसे—” पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए या अंतिम उत्पाद, जो एक सुभिन्न नाम या लक्षण या उपयोग रखता हो, के मूल्य वर्धन की प्रक्रिया में संयंत्र और मशीनरी का नियोजन करने वाले, उद्यमों की दशा में,”

[फा. सं. 2(10)/2006-एमएसएमई नीति]

माधव लाल, अपर सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (ii) में सं. का.आ. 1642(अ) तारीख 29 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2009

S.O. 199(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government, after obtaining the recommendation of the Advisory Committee under sub-section (4) of section 7 of the Act, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, number S.O. 1642 (E), dated the 29th September, 2006, namely:—

In the said notification, for the portion beginning with the brackets, letter and words “(i) in the case of the enterprises” and ending with words, brackets and figures “the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as—” the following shall be substituted, namely,—

“(i) in case of the enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the First Schedule of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 or employing plant and machinery in the process of value addition to the final product having a distinct name or character or use, as ”

[F. No. 2(10)/2006-MSME Policy]

MADHAV LAL, Addl. Secy.

Foot Note:— The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1642 (E), dated the 29th September, 2006.